UNIT–3

संवैधानिक प्रणाली : ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की संवैधानिक प्रणालियों की विशेषताएँ

(CONSTITUTIONAL SYSTEM : FEATURES OF U.K. AND U.S. CONSTITUTIONAL SYSTEMS)

पाठ-संरचना (Lesson Structure)

3.0 उद्देश्य (Objective)

3.1 संविधानवाद के तत्व (Elements of Constitutionalism)

3.2 ब्रिटेन की संवैधानिक प्रणाली (Constitutional system of Britain)

- **3.2.1 ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली की विशेषताएँ (Features of the British Constitutional System)**
- **3.2.2 समीक्षा (Evaluation)**

3.3 संयुक्त राज्य अमेरिका की संवैधानिक प्रणाली (Constitutional System of United States of America)

- **3.3.1 अमेरिका की संवैधानिक प्रणाली की विशेषताएँ (Features of the American Constitutional System)**
- **3.3.2 समीक्षा (Evaluation)**

3.4 अभ्यास के प्रश्न (Questions for Exercise)

3.5 संदर्भ ग्रंथ (Suggested Readings)

3.0 उद्देश्य (Objective)

आप इस पाठ में संवैधानिक प्रणाली का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम, आप संविधानवाद के विभिन्न तत्वों का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार संविधानवाद की, पृष्ठभूमि में आप, विभिन्न देशों में प्रचलित संवैधानिक प्रणालियों को समझने में समर्थ होंगे। इस पाठ में आप मुख्य रूप से ब्रिटेन तथा अमेरिका की संवैधानिक प्रणालियों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इन संवैधानिक प्रणालियों की उल्लिखित विशेषताओं का अध्ययन कर आप उक्त देशों की सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को जान सकेंगे। अध्ययनोपरांत आप इन व्यवस्थाओं की तुलनात्मक समीक्षा करने में समर्थ हो सकेंगे।

3.1 संविधानवाद के तत्व (Elements of Constitutionalism)

वस्तुत: 'संविधानवाद', प्रजातांत्रिक भावना और व्यवस्था पर आधारित एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था या प्रणाली है, जो कानूनों और नियमों से संचालित होती है और जिनमें शक्तियों के केन्द्रीकरण और निरंकुश सम्प्रभुता के लिए कोई स्थान नहीं है तथा जिनमें मनुष्य की आधारभूत मान्यताओं, आस्थाओं और मूल्यों की व्यवहार में उपलब्धि सम्भव होती है। अर्थात् संविधानवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शासक पर (या राज्य की शक्ति पर) अंकुश रखने की शक्ति स्वयं शासित्तों के हाथों में सौंपता है। इससे यह आशा की जाती है कि, व्यक्तियों की औपचारिक स्वतंत्रता और समानता स्थापित हो जाने पर वे स्वयं ऐसे लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, जिसमें सब व्यक्तियों का हित निहित हो।

संविधानवाद के तत्व–पिनॉक तथा **स्मिथ** ने, संविधानवाद के चार तत्वों की विवेचना की है। संविधानवाद के संदर्भ में ही यह समझना सम्भव है कि, किसी राजनीतिक व्यवस्था में संविधान, संविधानवाद का प्रतीक है अथवा नहीं। संक्षेप में इन तत्वों की विवेचना निम्नलिखित ढंग से की जा सकती है–

1. संविधान में आधारभूत संस्थाओं की स्पष्ट व्याख्या (Clear explanation of basic constitutional institutions)—संविधानवाद का महत्वपूर्ण तत्व यह है कि संविधान में आधारभूत संस्थाओं की स्पष्ट व्यवस्था की जानी चाहिए, उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के संगठन व कार्यों तथा उनके पारस्परिक संबंधों की स्पष्ट व्यवस्था, संविधानवाद की अभिव्यक्ति के लिए अनिवार्य है। संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों व अंगों की शक्तियों की व्याख्या ही नहीं हो, अपितु उनके वास्तविक संबंधों का, उन पर लगी सीमाओं और उनकी कार्यविधि का स्पष्ट उल्लेख भी होना चाहिए, अन्यथा संविधान, संविधानवाद की अभिव्यक्ति का साधन नहीं बन सकता है। वस्तुत: वर्तमान राज्यों में संविधान की सजीवता का मापदण्ड ही यह है कि, संविधान कहाँ तक शासन की आधारभूत संस्थाओं–व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका तथा राजनीतिक दलों, समूहों एवं प्रशासकीय सेवाओं की समुचित व्यवस्था तथा स्थापना करता है।

2. संविधान राजनीतिक शक्ति का प्रतिबन्धक (Constitution as a restrictive on political power)—संविधानवाद का एक आधारभूत तत्व यह है कि, संविधानवाद को राजनीतिक शक्ति का प्रतिबन्धक होना चाहिए। पिनॉक तथा स्मिथ तो प्रतिबन्धों को संविधानवाद का मूलमंत्र मानते हैं। वस्तुत: प्रत्येक राज्य में सरकार को संवैधानिक बनाये रखने के लिए उनका किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण व्यवस्था के अधीन होना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि, संविधानवाद स्पष्ट रूप से सरकार की शक्तियों का सीमांकन करे। इससे सरकार का कार्यक्रम निश्चित हो जाता है और शासित शासकों की स्वेच्छाचारी कामों से बच जाता है तथा शासक केवल विधि के अनुरूप ही संचालित होता है। वस्तुत: प्रत्येक राज्य में सरकार को संवैधानिक बनाए रखने के लिए, उसका किसी न किसी प्रकार की नियंत्रण, व्यवस्था के अधीन होना आवश्यक है। ये नियंत्रण निम्नलिखित हैं–

(क) विधि के शासन की स्थापना,

(ख) मौलिक अधिकारों की व्यवस्था,

(ग) शक्तियों का पृथक्करण एवं विकेन्द्रीकरण, और

(घ) सामाजिक परिस्थितियों को बनाये रखने की व्यवस्था।

उपर्युक्त नियंत्रणों के द्वारा नागरिक और सरकार दोनों ही अपने अधिकारों एवं कार्यों में सीमित हो जाते हैं और तब संविधान समाज के आदर्शों, आस्थाओं और राजनीति मूल्यों की प्राप्ति का साधन बन जाता है।

3. संविधान विकास का सूचक (Constitution as an indicator of development)—संविधान के लिए यह आवश्यक है कि वह समयानुकूल बने। समय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं में परिवर्तन के साथ सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों और आदर्शों में भी हेर-फेर होता रहता है। इन नवीन आस्थाओं का ग्रहण करने की क्षमता संविधान में होनी चाहिए। अगर किसी राज्य का संविधान ऐसी व्यवस्था नहीं रखता है तो, परिवर्तित व अप्रत्याशित परिस्थितियों में वह समाज की बदलती हुई मान्यताओं का प्रतीक नहीं रह जाएगा। अत: आवश्यक है कि संविधान भविष्य में सम्भावित विकासों का श्रेष्ठतम साधन भी हो। कोई भी संविधान जो वर्तमान से आगे, समाज के भावी विकास की योजना व साधन नहीं बनता वह शीघ्र ही समाज की आधारभूत मान्यताओं से विलग होता जाता है। ऐसा संविधान समाज की आकांक्षाओं की प्राप्ति का साधन न बनकर उसका बाधक बन जाता है। यह व्यवस्था संविधानवाद की समाप्ति का प्रारम्भ है।

4. संविधान राजनीतिक शक्ति का संगठक (Constitution as an organiser of Political power)—संविधान केवल सरकार की सीमाओं की स्थापना ही नहीं करता, अपितु सरकार की विभिन्न संस्थाओं में शक्तियों का वितरण भी करता है। संविधान यह व्यवस्था भी करता है कि सरकार के कार्य अधिकार युक्त रहे और स्वयं सरकार भी वैध रहे। अगर कोई संविधान सरकार के कार्यों को अधिकार युक्त व स्वयं सरकार को वैध नहीं बताता तो, ऐसी सरकार व संविधान अधिक दिनों तक स्थाई नहीं रह सकते तथा ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में संविधानवाद राजनीतिक शक्ति का संगठक नहीं रहता। इससे स्पष्ट है कि संविधान द्वारा प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति का संगठन होना आवश्यक है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि, संविधानवाद के उपर्युक्त चारों तत्व संविधान में अनिवार्य रूप से निहित होना चाहिए। यदि किसी राज्य के संविधान में संविधानवाद के इन तत्वों का समावेश नहीं है तो, वह संविधान में संविधानवाद की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होगा और ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में संविधानवाद सम्भव नहीं।

3.2 ब्रिटेन की संवैधानिक प्रणाली (Constitutional system of Britain)

''इंगलैण्ड का संविधान बड़ी-बड़ी संवैधानिक घटनाओं, कानूनों, न्यायिक निर्णयों, साधारण कानून (कामन लॉ) और रूढ़ियों (प्रथाओं) में पाया जाता है।''

ब्रिटिश संविधान क्रमिक विकास का प्रतिफल है। इनकी जड़ें सदियों से पुराने इतिहास से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि वुडरो विल्सन का विचार है—''इंगलैण्ड के संवैधानिक इतिहास की यह विशेषता है कि राजनीतिक संगठनों का निरन्तर विकास हुआ है और उसकी निरन्तरता प्राचीन काल से ही, अब तक अविच्छिन्न बनी रही है।''

वस्तुत: इंगलैण्ड का सांविधानिक इतिहास पाँचवीं शताब्दी से प्रारम्भ होता है। 450 से 600 ई० तक के काल में ऐंग्लो-सेक्सन जाति के बीच संघर्ष ने, अंग्रेजी संविधान की नींव डाली। उस काल के बाद

इंगलैण्ड में राजतंत्र का विकास हुआ। अंग्रेजी संविधान के विकास का प्रतिफल यह है कि, इसने संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था को जन्म दिया। वहाँ शासन की शक्तियाँ जनता के प्रतिनिधियों के हाथों निहित हैं। वहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है।

3.2.1 ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली की विशेषताएँ (Features of the British Constitutional System)

ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली की विशेषताएँ निम्नवत् हैं–

1. विकसित तथा विकासशील संविधान (Evolved and Evolving Constitution)—ब्रिटेन का संविधान कभी भी किसी संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि इसका विकास निरन्तर हुआ है। जैसा कि मुनरो का कथन है–''ब्रिटिश संविधान कोई पूर्णता प्राप्त वस्तु न होकर एक विकासशील वस्तु है। यह बुद्धिमत्ता और संयोग की संतान है जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता ने और कहीं उच्च कोटि के योजनाओं ने किया है।'' वस्तुत: ब्रिटेन का संवैधानिक इतिहास शासन व्यवस्था के स्वेच्छाचारी राजतंत्र में परिवर्तित होने की कहानी है। वह परिवर्तन किसी निश्चित एक वैधानिक पत्र द्वारा न किया जाकर शनै:-शनै: ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार अनेक साधनों द्वारा किया गया है, जिसमें पार्लियामेंट के कानून, राजा द्वारा प्रदत्त आज्ञापत्र (charters) एवं घोषणापत्र, न्यायालयों के निर्णय, रीति-रिवाज एवं प्रथा-परम्परायें आदि प्रमुख हैं। यही कारण है कि ब्रिटेन का संविधान निरन्तर विकासशील परन्तुशृंखलाबद्ध है।

2. ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है (British Constitution is the child of wisdom and chance)—ब्रिटेन के संविधान का निर्माण कभी भी इस प्रकार नहीं हुआ, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का हुआ है। ब्रिटेन के इतिहास में संविधान निर्माण करने के लिए कभी भी संविधान सभा नहीं बैठी, अपितु कभी इसका विकास संयोगवश हुआ और कभी इसमें ऐसे अधिकार पत्र तथा संसदीय अधिनियम जोड़े गये, जो कि विवेकशीलता के परिणाम हैं। **लिटेनस्टेची** के शब्दों में, ''ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है।''

इसमें संदेह नहीं कि ग्रेट ब्रिटेन में बहुत सी संस्थाएँ संयोग का ही परिणाम हैं। उदाहरणार्थ, 1295 में **एडवर्ड प्रथम** ने स्काटलैण्ड से युद्ध के कारण (धन की नितान्त आवश्यकता थी) बैठक बुलाई। पादरी, सामन्त और नगर के प्रतिनिधियों की उपस्थिति के कारण तीन सदनों की प्रथा की उत्पत्ति की सम्भावना थी, परन्तु संयोगवश दो सदनों (लार्ड सदन और कॉमन सदन) का विकास हुआ।

इसी तरह, प्रथम मन्त्रि **'वाल्पोल'** को मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता करने और मंत्रिमण्डल के निर्णयों से सम्राट को अवगत कराने के कारण प्रधानमंत्री पद का संयोगवश ही निर्माण हुआ।

3. ब्रिटिश संविधान में सिद्धान्त और व्यवहार में बहुत अंतर है (Difference between principle and practice)—ब्रिटिश संविधान के बारे में प्राय: यह कहा जाता है कि, वह संवैधानिक सिद्धान्त के अनुकूल न होकर उससे बहुत भिन्न (व्यवहार में) है। इसका प्रमुख कारण ब्रिटिश संविधान का संगठित रूप में न पाया जाना है। इंगलैण्ड निवासी अपनी-अपनी परम्पराओं, प्रथाओं तथा राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप को नष्ट नहीं करना चाहते। इसलिए वहाँ पर आज भी ऐसी परम्परायें, प्रथायें और

संस्थायें विद्यमान हैं, जो समय तथा उपयोगिता की दृष्टि से पुरानी पड़ चुकी है। जैसा दीखता है, वैसा है नहीं और उसका कारण यह रहा है, जैसा **विलियम एनसन** के शब्दों में, ''यह संविधान एक ऐसा भवन रहा है जिसमें नई पीढ़ियों ने समयानुसार अपने मनोनुकूल इस भवन में चीजें जोड़ी हैं।''

वास्तव में इसका एक परिणाम यह हुआ कि, शासन-संस्थाओं का बाह्यरूप स्थिर रहा परन्तु उनको नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की चेष्टा में उनका सार जाता रहा। इस प्रकार सिद्धान्त और व्यवहार में महान अंतर हो गया। प्रोफेसर मुनरो की भी मान्यता है कि ''ब्रिटिश संविधान की यह अद्‌भुत विशेषता है कि, यह जैसा दिखाई देता है, वैसा है नहीं और जैसा है, वैसा दिखाई नहीं देता।'' उदाहरणार्थ-सम्राट के अधिकार सिद्धान्त में आज भी वही है, जो नार्मनकाल में थे। सैद्धान्तिक दृष्टि से सम्राट के पास सारी शक्तियाँ हैं, वह सेना का सर्वोच्च सेनापति है, वही युद्ध तथा शांति की घोषणा करता है। वही सभी प्रमुख पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। वह ही न्याय का स्रोत है और सभी संधियाँ उसी के नाम से की जाती हैं। सरकार के सभी अधिकारी ब्रिटिश ताज के सेवक हैं और उनको सम्राट पदच्युत कर सकता है। वह संसद को भंग कर सकता है और नए चुनाव करवा सकता है, परन्तु सब कुछ व्यवहार में सत्य नहीं है। व्यवहार में राजा की सारी शक्तियाँ अत्यन्त सीमित हैं और वह सारा कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से करता है।

वस्तुत: ब्रिटिश शासन-व्यवस्था में पग-पग पर सिद्धान्त और व्यवहार में अन्तर दृष्टिगोचर होता है। इसका कारण शासन-संस्थाओं का निरन्तर विकासशील रहना है। यह विकास विधियों द्वारा न किया जाकर प्रधानत: परम्पराओं तथा प्रथाओं द्वारा हुआ है। विधियों का प्रयोग बहुत कम अवसरों पर किया गया है। शासन व्यवस्था का अधिकांश भाग विशेषकर राजपद की स्थिति, उसके पार्लियामेन्ट तथा कैबिनेट से संबंध आदि विधियों द्वारा नियमित नहीं किये गये। इनकी प्रथाओं और परम्पराओं पर छोड़ दिया गया है।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में सिद्धान्त और व्यवहार में जो अंतर पाया जाता है, वे इस प्रकार हैं :-

(1) सैद्धान्तिक दृष्टि से इंगलैंड में राजतंत्र है, किन्तु व्यवहार में, वहां लोकतंत्र स्थापित हो गया है।

(2) यद्यपि शासन का सारा कार्य राजा के नाम से एवं राजा की मोहर लगाने से होता है, किन्तु व्यावहारिक रूप में राजा एक रबर की मोहर से ज्यादा कुछ नहीं है, वह सारा कार्य मंत्रियों की सलाह से ही करता है।

(3) सैद्धान्तिक दृष्टि से इंगलैंड में शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है, क्योंकि वहां कानून निर्माण की शक्ति संसद को दी गई है, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल के पास है और न्यायपालिका शक्ति न्यायपालिका में निहित है, परन्तु इंगलैंड से संसदीय शासन व्यवस्था है और वहां मंत्रिमंडल संसद के अधीन है। मंत्रिमंडल भी उसी दल से बनता है, जिसका संसद में बहुमत होता है और प्रधानमंत्री कामन-सदन के विघटन की सम्राट अपना साम्राज्ञी से सिफारिश कर सकता है।

(4) सैद्धान्तिक रूप से इंगलैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो वहां सम्पूर्ण शासन सत्ता का केन्द्रीकरण हो, किन्तु व्यवहार रूप में वहां शक्ति का समुचित विकेन्द्रीकरण है। स्थानीय स्तर पर इंगलैंड में पूर्ण स्वशासन है।

(5) सैद्धान्तिक रूप में सर्वोच्च न्यायिक शक्ति लार्ड सभा में निहित है, किन्तु व्यवहार रूप में

न्यायिक शक्ति लार्ड सभा की एक उपसमिति में निहित है।

(6) **'सम्राट'** आज शासन व्यवस्था का 'कार्यशील अंग' न रहकर, उसका केवल एक प्रतिष्ठित भाग बन गया है। सिद्धान्त में आज भी वह स्वेच्छाचारी है और उसकी शक्ति वस्तुतः असीमित है, परन्तु वास्तविकता यह है कि पिछली शताब्दियों के संवैधानिक विकास ने राजपद को पूर्णतया समारोहात्मक बना दिया है।

(7) इसी प्रकार सिद्धान्त में प्रिवी काउन्सिल अब भी महत्वपूर्ण है, परन्तु व्यवहार में उसका स्थान पूर्णतः कैबिनेट ने ले लिया है, जो देश की वास्तविक कार्यकारिणी है।

(3) लोकतंत्र की प्रधानता (Dominance of Democracy)—ब्रिटिश शासन प्रणाली की शुरूआत राजतंत्र से हुई, परन्तु धीरे-धीरे वह सांविधानिक राजतंत्र में परिणत हो गई। इस तरह वहां सार्वजनिक निर्णय की अंतिम शक्ति जनसाधारण के प्रतिनिधियों के हाथों में आ गई है और यह प्रणाली पूर्णतः लोकतंत्रीय बन गई है। आज ब्रिटिश राज के तत्व केवल अलंकारिक रह गया है। इनके चलन से लोकतंत्र की भावना या लोकतंत्र के सिद्धान्त का उल्लंघन नहीं होता, जैसे-ब्रिटेन में आज भी राजमुकुट की संस्था बनी हुई है, और लार्ड सभा भी कायम है। परन्तु इन्होंने अपने आप को लोकतंत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल लिया है।

(4) अलिखित संविधान (Unwritten Constitution)—आज जहां विश्व के अधिकांश संविधान लिखित हैं, वहीं केवल मात्र ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है। इसका अर्थ यह है कि, यहां ऐसा कोई अकेला दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है, जिसे किसी संविधान सभा विधिवत् अधिनियमित किया हो, और जिसे ब्रिटिश संविधान की संज्ञा दी जा सके, अर्थात् जिसे किसी भी सार्वजनिक निर्णय, नियम या कानून की प्रामाणिकता का अंतिम स्रोत माना जा सके। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधान से भिन्न है।

ब्रिटिश संविधान के बनाने में चार महत्वपूर्ण तत्वों ने (स्रोतों) ने विशेष रूप में अपना काम किया है। ये स्रोत या तत्व निम्नलिखित हैं—संसदीय अधिनियम का अधिकार या अधिकार पत्र (चार्टर) न्यायालयों के निर्णय, लोक विधि, संसद के नियम और रीति-रिवाज, परिपाटियाँ या प्रथाएँ संवैधानिक व्यवहार का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यद्यपि अधिकार पत्र, संसद द्वारा बनाये हुए कानून और न्यायाधीशों के निर्णय लिखित है। परन्तु रूढ़ियाँ अलिखित हैं। चूँकि ब्रिटेन के संविधान की कार्यविधि को रूढ़ियों ने बहुत अधिक प्रथावित किया है, यही कारण है कि, ब्रिटिश संविधान को अलिखित माना जाता है।

(5) पैतृक तथा सीमित राजतंत्र (Limited Monarchy)—इंगलैंड में पैतृक तथा सीमित राजतंत्र की स्थापना हो गई है। 1642 के गृह युद्ध से पहले सम्राट की शक्ति निरकुंश थी और वे सभी क्षेत्रों में अपनी मनमानी करते थे। किन्तु 1688 के गौरवमय क्रांति के बाद सम्राट की शक्तियाँ सीमित हो गईं। यथार्थ रूप में आज सम्राट की शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों द्वारा की जाती है। सम्राट के पास व्यावहारिक रूप से तीन ही शक्तियां हैं–

(i) चेतावनी देने का अधिकार

(ii) मंत्रियों को सलाह देने का अधिकार

(iii) प्रोत्साहन देने का अधिकार।

इसके अतिरिक्त सम्राट को प्रशासन के बारे में किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

इंगलैंड में सम्राट पद तो रखा गया है, किन्तु उसकी शक्तियां संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है।

(6) अभिसमयों (रूढ़ियां तथा प्रथाएँ) पर आधारित विधान (Based on Conventions)—इंगलैंड का संविधान रूढ़ियों तथा प्रथाओं पर आधारित है। ये सब रूढ़ियां तथा प्रथाएँ अलिखित हैं और इन्होंने संविधान को लिखित तत्वों से भी प्रभावित किया है। जैसा कि एल. एस. एमरी के शब्द है- ''अंग्रेजी संविधान औपचारिक अधिनियम, पूर्वाभ्यास एवं परि पाटियों का मिश्रण है।'' वैसे तो थोड़ा बहुत सभी संविधानों को अभिसमयों पर आश्रित रहना पड़ता है, परन्तु अंग्रेजी संविधान में इसकी बाहुल्य है। वस्तुत: इंगलैंड की समस्त-व्यवस्था ही अभिसमयों पर टिकी हुई है।

(7) संसद की सर्वोच्चता अथवा प्रभुसत्ता (Parliamentary Sovereignty)—इंगलैंड की शासन व्यवस्था का मूलमन्त्र है, 'कानून की दृष्टि से संसद की प्रभुता।' संसदीय प्रभुसत्ता का अर्थ है, विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद की असीम शक्तियां प्राप्त होना। ब्रिटिश संसद जो भी कानून बना देती है, वह अन्तिम है। उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता। ब्रिटिश संसद सभी प्रकार के कानूनों की तरह संविधान को भी समाप्त कर सकती है। वह कार्यकारिणी पर भी नियंत्रण रखती है। वस्तुत: ब्रिटिश संसद की कानूनी सत्ता 'सर्वोच्च' है। यहां पर **डीलोम** का कथन है- ''संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष, और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है।'' **डायसी** के शब्दों में- ''कानून की दृष्टि से हमारी राजनीतिक संस्थाओं की प्रमुख विशेषता संसद की सर्वोच्चता है......... संसद की शक्ति इतनी सर्वोच्च है कि उसको व्यवस्थापन द्वारा भी सीमित नहीं किया जा सकता।''

(8) एकात्मक शासन प्रणाली (Unitary System)—ग्रेट ब्रिटेन का संविधान, संघीय नहीं बल्कि एकात्मक है। वहां पर शक्तियों को कोई विभाजन नहीं है। ब्रिटेन के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए, एक ही सरकार तथा एक हीं केन्द्र (लन्दन) की व्यवस्था की गई है। स्थानीय शासन को कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। वह केवल संसदीय कानून को लागू करने के लिए आवश्यक उपनियम बना सकता है। स्थानीय शासन को सारी शक्तियां, केन्द्रीय सरकार की देन हैं, और ये केन्द्रीय सरकार के विवेक पर ही आश्रित हैं। संसदीय नियम के अन्तर्गत किसी स्थानीय शासन की किसी इकाई के गठन में संशोधन किया जा सकता है, या उसके अस्तित्व को ही समाप्त किया जा सकता है।

(9) सुपरिवर्तनशील या लचीला संविधान (Flexible Constitution)—संविधान की एक उल्लेखनीय विशेषता, इसका लचीलापन है। ब्रिटेन में सांविधानिक कानून और साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रियाओं में कोई अंतर नहीं है। वहाँ संसद सर्वोच्च है तथा वह संविधान के किसी भी भाग को साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित कर सकती है। **ब्राइस** के शब्दों में- ''संविधान के ढाँचे को तोड़े बिना ही इसे आवश्यकतानुसार खींचा और मोड़ा जा सकता है।''

चूँकि वहां संविधान को बदलना इतना सरल है, जैसे कोई साधारण कानून बनाना या बदलना हो, इसलिए ब्रिटिश संविधान को, सुनम्य या लचीला संविधान कहा जाता है। देखा जाए, तो ब्रिटिश संविधान की यह विशेषता वहाँ के अलिखित संविधान का स्वाभाविक परिणाम है।

(10) विधि का शासन (Rule of Law)—अंग्रेजी संविधान एक उल्लेखनीय विशेषता है– 'विधि का शासन' की विधि के शासन का कानूनी अर्थ है, कानून के समक्ष सभी समान हैं। कानून सर्वोपरि है, व्यक्ति नहीं। कानून के शासन का अर्थ इंगित करते हुए इंगलैंड के भूतपूर्व न्यायाधिपति **लार्ड हिवार्ट** ने लिखा है :- ''व्यक्तियों के अधिकारों के निर्धारण या निर्णय में कानून की प्रमुखता या प्रधानता होती है, न कि किसी मनमाने निर्णय या अन्य उपाय की प्रमुखता, जो कानून न हो।'' **डायसी** को विधि के शासन का प्रमुख व्याख्याकार माना जाता है। उन्होंने यह सिद्धान्त विकसित किया कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था का मूल गुण यह है कि, इसमें 'स्वेच्छाचारिता' के स्थान पर विधि की प्रधानता है, अर्थात् केवल विधि द्वारा ही उसकी स्वतंत्रता अथवा सम्पत्ति को हाथ लगाया जा सकता है। विधि के आधार पर सरकार की स्वेच्छाचारिता के विरूद्ध व्यक्ति न्यायालयों की शरण ले सकता है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष है और जिनके समक्ष सरकार और नागरिक दोनों समान हैं। इसी व्यवस्था को 'विधि राज्य' ((Rule of law) कहा जाता है। डायसी ने कानून के शासन के विषय में निम्न तीन मुख्य नियमों का उल्लेख किया है–

(क) **प्रथम नियम** यह है कि, देश में सामान्य कानून ही प्रधान अथवा सर्वोपरि है तथा सरकार को स्वेच्छाचार या मनमानी करने का अधिकार नहीं है अर्थात् व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दण्ड दिया जा सकता है और किसी बात के लिए नहीं। इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति जब तक किसी साधारण न्यायालय द्वारा किसी पार्लियामेन्ट के कानून को भंग करने के लिए दोषी न सिद्ध हो जाये, उसे कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता।

(ख) **दूसरा नियम** यह है कि कानून के समक्ष सब व्यक्ति समान हैं, अर्थात् सरकारी कर्मचारी तथा साधारण नागरिक दोनों सामान्य कानून ग्रास नियमित हैं तथा दोनों समान रूप से साधारण न्यायालयों के अधीन हैं। डायसी का अभिप्राय था कि, इंगलैंड में फ्रांस की भाँति कोई 'प्रशासकीय विधि' अथवा प्रशासकीय न्यायालयों की व्यवस्था नहीं है।

(ग) **तीसरा नियम** यह है कि संविधान, नागरिक अधिकारों का ही परिणाम है, उनका स्रोत नहीं। अर्थात् नागरिकों के अधिकार, संविधान द्वारा निर्धारित न होकर, स्वयं संविधान नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित हुआ है। नागरिकों के अधिकार मौलिक हैं, संविधान इनके संरक्षण विषयक नियमों का समूह मात्र है। चूँकि नागरिकों के अधिकार पार्लियामेन्ट के कानूनों तथा न्यायालयों के निर्णयों पर आधारित हैं, अत: पार्लियामेन्ट के कानून तथा न्यायिक निर्णय ही संविधान के स्रोत हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इंगलैंड में कानून के शासन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए तथा उसका अपराध सिद्ध किए बिना, जेल में नहीं डाला जा सकता। वहाँ पर विधि के समक्ष सब बराबर हैं, चाहे कोई प्रधानमंत्री या फिर चपरासी ही क्यों न हो। सारे देश में एक ही प्रकार का कानून है। किसी भी व्यक्ति को केवल कानून के अनुसार दण्ड मिल सकता है और किसी अधिकारी की मनमानी इच्छा से नहीं। चाहे कोई साधारण व्यक्ति अपराध करे अथवा अधिकारी करे, सब के लिए एक

ही प्रकार के कानून तथा न्यायालय है। अन्त में हम **जैनिंग्स** के शब्दों में कह सकते हैं कि- ''विधि राज्य का जिस अर्थ में इंगलैंड में प्रयोग होता है, उसका अभिप्राय यह है कि क्राउन तथा अन्य शासन, कर्मचारियों के अधिकार, पार्लियामेन्ट के कानून तथा स्वतंत्र न्यायालयों के निर्णयों पर आधारित तथा उनके द्वारा मर्यादित होने चाहिए।

(11) कैबिनेट प्रणाली या मंत्रिमण्डलीय प्रणाली (Cabinet System)—ब्रिटिश संविधान में संसदीय सर्वोच्चता की स्थापना के फलस्वरूप शक्ति विभाजन के सिद्धान्त को त्याग दिया गया है। तात्पर्य है कि यद्यपि सिद्धान्ततः ब्रिटिश संसद की सत्ता सर्वोच्च है। परन्तु संसद का नेतृत्व मंत्रिमण्डल के हाथों में रहता है। अर्थात् इंगलैंड में आज कार्यपालिका की समस्त शक्ति कैबिनेट में केन्द्रित है। इसलिए व्यवहार के धरातल पर सम्पूर्ण संसदीय कार्य को आरम्भ करने का अधिकार मंत्रिमण्डल के हाथों में आ गया है। कैबिनेट ही 'कामन्स सभा' का मार्ग निर्देशन कर सकती है। संसद का अधिवेशन, प्रधानमंत्री की सलाह से बुलाए जाते हैं। संसद की कार्य सूची का निर्माण और संसदीय समय का विभाजन प्रधानमंत्री के सलाह से निर्धारित किया जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्य ही संसद में, अधिकांश विधेयक प्रस्तुत करते हैं और मंत्रिमंडल संसद में अपने बहुमत के बल पर इन विधेयकों को पारित करा लेता है। इसलिए यह कहा जाता है कि संसद अपने-आप में कोई कानून नहीं बनाती, बल्कि मंत्रिमण्डल ही संसद के अनुमोदन से सारे कानून बनाता है। मंत्रिमण्डल ही सारे कानून को लागू करता है और वही सारा प्रशासन संभालता है। देखा जाए तो आजकल मंत्रिमण्डल सम्पूर्ण सरकार का पर्याय बन गया है। राम्जे-म्योर के मत में- ''कैबिनेट राज्य रूपी जहाज का चालक 'पहिया' है और प्रधानमंत्री उस जहाज का चालक है।

(12) संसदात्मक लोकतंत्र (Parliamentary Democracy)—ब्रिटेन में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। इसका अर्थ है कि, राज्य में मुखिया 'सम्राट' के पास नाममात्र की शक्तियां होंगी और सरकार के मुखिया 'प्रधानमंत्री' के पास वास्तविक शक्तियाँ होगी। इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियाँ हैं और वह अपने कार्यों एवं नीतियों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ब्रिटिश संसद, प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमण्डल के विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकती है।

चूँकि ब्रिटेन में प्रचलित व्यवस्था को 'संसदात्मक शासन-व्यवस्था' कहा जाता है। कार्यकारिणी का संसद के प्रति उत्तरदायी होना इसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है। अतः इसको उत्तरदायी सरकार कहा जाता है।

संसदात्मक शासन प्रणाली की मूल चार विशेषताएँ हैं-

(i) कार्यकारिणी का, संसद की सदस्यता में से ही गठित किया जाना।

(ii) कार्यकारिणी का, संसद के प्रति उत्तरदायी होना।

(iii) कार्यकारिणी का कार्य-काल, संसद की इच्छा पर निर्भर करना, अर्थात् पूर्व निर्धारित न होना, और

(iv) नाममात्र की कार्यकारिणी और वास्तविक कार्यकारिणी में भेद होना।

ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली के चारों तत्व या विशेषताएँ मौजूद हैं।

(13) न्यायपालिका और प्रशासनिक सेवा के कार्य में कार्यपालिका या विधायिका का हस्तक्षेप नहीं (Non-interference of Executive or Legislature)—यह सच है कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत शक्ति पार्थक्य की वैसी गुंजाइश नहीं है, जैसी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रखी गई है। यहां की विधायिका (संसद) और कार्यपालिका (मंत्रिमण्डल) आपस में जुड़ी हुई है और संसद का उच्च सदन, अर्थात् लार्ड सभा संसद के उच्च न्यायालय की भूमिका निभाती है। परन्तु सच में वह केवल उच्चतम पुनरावेदन-न्यायालय ((Highest Court of Appeal) का कार्य करती है, सांविधानिक मुद्दों पर वह कोई निर्णय नहीं देता। **दूसरी** ओर, न्यायाधीशों और प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नित्य-प्रति के कार्यों में विधायिका (संसद) या कार्यपालिका (मंत्रिमण्डल) कोई हस्तक्षेप नहीं करती। प्रशासनिक विभागों के मंत्री अपने-अपने विभाग के कार्य के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, किन्तु इन विभागों के अधिकारी संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, उनकी सेवा की शर्तें प्रशासनिक सेवा के नियमों से निर्धारित होती हैं। वे राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होते हैं।

इसी तरह न्यायाधीशों को भी 'सद्व्यवहार' के दौरान 'कार्यकाल की सुरक्षा' प्राप्त होती है। उन्हें अपने पद से हटाना अत्यन्त कठिन है। वह तभी सम्भव है, जब संसद के दोनों सदन इस आशय का संकल्प पारित कर दें। अपने कार्यपालन के दौरान उन्हें राजनीतिक दबाव से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा, अपनी आधिकारिक हैसियत से जो कार्य है, उसे न्यायिक उन्मुक्ति प्राप्त होती है।

(14) धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं (Not a secular constitution)—यद्यपि ब्रिटेन का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है, तथापि सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी भी धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, किन्तु ब्रिटेन में यह आवश्यक है कि, उसका राजा अथवा रानी प्रोटेस्टेंट ईसाई हो।

(15) मिश्रित संविधान अर्थात् राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा लोकतंत्र का सुन्दर समन्वय (Mixed Constitution)—ब्रिटिश संविधान वस्तुतत: एक मिश्रित संविधान है। इसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र के तत्व विद्यमान हैं। ब्रिटेन का शासनाध्यक्ष आज भी राजा अथवा रानी है और वह राजतंत्र वंशानुगत है। यदि राजा राजतंत्र का प्रतीक है, तो लार्ड सभा कुलीनतंत्र का। किन्तु वास्तविक शक्ति न तो 'राजा' के पास है और न ही 'लार्ड सभा' के पास। वह तो 'लोक सदन' (हाउस ऑफ कॉमन्स) तथा उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिमण्डल के पास है। इस तरह हम देखते हैं कि ब्रिटेन में राजतंत्र तथा कुलीनतंत्र के होते हुए भी पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। इसका कारण यह है कि, सम्राट तथा कुलीन तंत्र के प्रतीक हाउस ऑफ लार्ड्स की शक्तियां अत्यन्त सीमित कर दी गई हैं और कॉमन सदन को शक्तियों का वास्तविक भण्डार बना दिया है, परन्तु राजतंत्र तथा लार्ड सदन को समाप्त नहीं किया गया है। यहां पर ऑग का कहना ठीक ही है- ''ब्रिटेन का राज्य व्यवस्था, शुद्ध सैद्धान्तिक रूप से निरंकुश, राजतंत्र है और वास्तविक रूप में प्रजातान्त्रिक गणराज्य है।''

(16) मौलिक अधिकारों की संविधान में कोई सूची न होते हुए भी, मौलिक अधिकारों तथा नागरिक स्वतंत्रताओं का अस्तित्व (No charter of Fundamental Rights)—अमेरिका, सोवियत संघ, भारत, जापान, चीन इत्यादि देशों के संविधान लिखित हैं और उसमें मौलिक अधिकारों की एक लम्बी सूची दी गई है। ब्रिटिश संवधान अलिखित है और उसमें इस प्रकार की कोई सूची नहीं दी हुई है, परन्तु फिर भी ब्रिटेन में किसी न किसी रूप में मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का अस्तित्व है। ये मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएँ इंगलैण्ड के लोगों को **मैग्ना कार्टा** (1215 ई०) **पिटीशन ऑफ राइट्स** अथवा अधिकारों की याचिका (1628), हेबिस-कार्पस एक्ट (1679) तथा **बिल ऑफ राइट्स** (1689) के द्वारा मिले हुए हैं। इसके अतिरिक्त कई नागरिक अधिकार विभिन्न संसदीय अधिनियमों द्वारा प्रदान किये गये हैं, जैसे शस्त्र धारण करने का अधिकार, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार, अत्यधिक जुर्माने और अमानुषिक दण्ड से बचने का अधिकार इत्यादि। कुछ स्वतंत्रताएँ जैसे-भाषण तथा लेखन की स्वतंत्रता, सम्मेलन और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, कानून के शासन पर आश्रित हैं। अनेक स्वतंत्रताएँ न्यायाधीशों के निर्णय के कारण भी लोगों को प्राप्त हुई हैं।

(17) द्विदलीय पद्धति (Biparty System)—द्विदलीय पद्धति ब्रिटिश शासन प्रणाली की एक अद्वितीय विशेषता है जिसने संविधान की कार्यविधि को अत्यधिक प्रभावित किया है। यद्यपि ब्रिटेन में समुदाय बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, परन्तु लगभग तीन शताब्दियों से ब्रिटेन में दो दलों (अनुदार दल तथा उदार दल) की ही प्रमुखता रही है।

3.2.2 समीक्षा (Evaluation)

उपर्युक्त विशेषताओं का जब हम विश्लेषण करते हैं तो, यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटेन में संविधानवाद को आधारभूत तत्वों का समावेश है। संविधानवाद की मान्यताओं के अनुकुल, ब्रिटिश संविधान शासन की आधारभूत संस्थाओं–व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका तथा राजनीतिक दलों, समूहों एवं प्रशासकीय सेवाओं की समुचित व्यवस्था एवं स्थापना करता है। यहां भी सरकार की शक्तियों का सीमांकन कर दिया गया है ताकि, शासकों की स्वेच्छाकारी कार्यों से जनता की रक्षा हो सके। इस परिप्रेक्ष्य में, यहाँ विधि के शासन की स्थापना, मौलिक तथा नागरिक स्वतंत्रताओं का अस्तित्व, न्यायपालिका और प्रशासकीय सेवा के कार्य में, कार्यपालिका या विधायिका के हस्तक्षेप से बचाव किया गया है। केन्द्रीय स्तर से लेकर स्थानीय संस्थाओं तक के अधिकारों एवं शक्तियों का विवेचना; ब्रिटेन के संविधान में दृष्टिगोचर होते हैं। इतना ही नहीं; ब्रिटिश संविधान विकास का प्रतिफल है। समयानुकूल, इसमें आवश्यक परिवर्तन अथवा सुधार, जनता की आकांक्षाओं एवं इच्छाओं के मद्देनज़र किया गया है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश संविधान, समयानुकूल राष्ट्रहित एवं जनहित में आवश्यक परिवर्तन या संशोधन करने में पूर्णरूप से सक्षम है। साथ ही, सरकार को उत्तरदायी बनाया गया है, ताकि वह मनमानी न कर सके।

वस्तुत: संविधानवाद की जो आधारभूत विशेषता विधि और विनियमों द्वारा संचालित व्यवस्था से है, उनका स्पष्ट दृष्टान्त; ब्रिटिश संविधान में दृष्टिगोचर होते हैं। साथ ही, ब्रिटिश संविधान में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सीमित सरकार के सिद्धान्त का समावेश न ही किया गया है। शक्तियों का

विभाजन कर, सरकारी कार्यों पर प्रथावशाली नियंत्रण स्थापित किया गया है तथा सरकार को उत्तरदायी बनाया गया है।

3.3 संयुक्त राज्य अमेरिका की संवैधानिक प्रणाली (Constitutional System of United States of America)

''हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी
मनुष्य जन्म से एकसमान हैं, सभी मनुष्यों की
परमात्मा ने कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किए हैं
जिन्हें छीना नहीं जा सकता है और इन अधिकारों
में जीवन, स्वतंत्रता और अपनी समृद्धि के लिए प्रयत्नशील
रहने के अधिकार भी शामिल है।''

उपर्युक्त भावना 4 जुलाई, 1776 ई० को 'स्वतंत्रता की घोषणा-पत्र' में, अमेरिका में गूँजी। प्रस्तुत भावना रूसो के 'Social Contract' (सामाजिक अनुबन्ध) से अभिप्रेरित थी। इन आदर्शों से मार्गदर्शन प्राप्त करके अमेरिकी गणराज्य की स्थापना हुई। 1787 ई० में **'फिलाडेलफिया सम्मेलन'** से वर्तमान अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ, जो 30 अप्रैल 1789 को कार्यान्वित किया गया। उस समय की शासन कला में यह एक नवीन प्रयोग था और प्रजातंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय। 1789 में, यूरोप के किसी भी महान राज्य में लिखित संविधान न था और इंगलैंड के अतिरिक्त किसी देश में भी लोक प्रतिनिधिक संस्थायें न थीं। वास्तव में अमेरिकी संविधान द्वारा एक ऐसी शासन प्रणाली का जन्म हुआ, जो समकालीन अंग्रेजी शासन प्रणाली से भी अधिक प्रजातांत्रिक थी।

वस्तुत: अमेरिका का संविधान; उन थोड़े से संविधानों में से हैं, जो कुछ बुनियादी सिद्धान्तों को अपनी नींव में बैठाये हुए हैं। सबसे बड़ी बुनियादी सिद्धान्त, जिसने अमेरिकी संविधान को अनुप्रमाणित किया है, वह है, ''राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा का साधन मात्र मानने वाला विचार''-जिसका प्रमुख व्याख्याता 'लॉक' रहा है। 'राज्य सत्ता' का प्रतिष्ठा करते समय संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान रखा कि पूरा शासन तंत्र, किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के नियंत्रण में न चला जाए। इसलिए शक्ति के विभाजन, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धान्त के आधार पर, इसे सम्पूरित व संशोधित किया गया। साथ ही, अमेरिकी संविधान में केन्द्रीय अधिकार तथा स्थानीय स्वशासन के संतुलन की झलक मिलती है। यह सन्तुलन बड़ी सफलतापूर्वक किया गया है। इस तरह संवैधानिक इतिहास में पहली बार एक मर्यादित संघीय राज्य के विधान की रचना हुई।

अमेरिकी संविधान के निर्माताओं ने संविधान की रचना करते समय चार उद्देश्यों को अपनी दृष्टि में रखा था-

(1) संविधान द्वारा एक कुशल शासन तंत्र की स्थापना हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक शक्तिशाली कार्यकारिणी का प्रावधान किया।

(2) शासन का प्रत्येक अंग परस्पर स्वतंत्र हो। इस उद्देश्य की पूर्ति, शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त द्वारा

की गई, जिसके अन्तर्गत व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी और न्यायपालिका परस्पर पृथक कर दिये गये, परन्तु इसके साथ-साथ व्यवस्था की गई कि तीनों एक दूसरे पर संतुलन तथा नियंत्रण रखें।

(3) सरकार जनता पर निर्भर रहे। इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करने हेतु संविधान में यह व्यवस्था की गई कि प्रशासन के सब महत्वपूर्ण पदाधिकारी जनता द्वारा निर्वाचित हों और चुनाव थोड़े-थोड़े समय के पश्चात पुनः होते रहें।

(4) सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था, व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा का प्रश्न। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी एवं न्यायपालिका को पृथक कर दिया गया, जिससे कि एक विभाग दूसरे विभाग से मिलकर वैयक्तिक स्वतंत्रता को आघात न पहुँचा सके। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के कुछ अधिकारों को संविधान द्वारा सुरक्षित कर दिया गया, जिनके उल्लंघन किये जाने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है।

3.1.1 अमेरिका की संवैधानिक प्रणाली की विशेषताएँ (Features of the American Constitutional System)

इन उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में ही, अमेरिकी संविधान की विशेषतायें स्पष्ट होती हैं। ये निम्नलिखित है :–

(1) लोक-प्रभुता (Popular Sovereignty)—सर्वप्रथम, अमेरिकी संविधान लोक-प्रभुता के सिद्धान्त पर आधारित है। संविधान जनकृत्य का ही परिणाम है। उसका स्रोत सार्वजनिक इच्छा है। अतः प्रस्तावना में घोषित किया गया है कि, अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय स्थापित करने, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, सार्वजनिक कल्याण की बढ़ोत्तरी करने तथा स्वयं अपने तथा संविधान को अपनाते हैं।'' जैसा कि डॉ० टकबिले ने कहा था- ''अमेरिका की जनता राजनीतिक दुनिया में इस प्रकार राज्य करती है, जैसे विधाता सृष्टि में।'' वस्तुतः इस संविधान द्वारा एक प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली स्थापित होती है। संविधान का आधार जनता है, अर्थात् राज्य की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में है और जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा संविधान में आवश्यक संशोधन कर सकती है।

(2) गणतंत्र प्रणाली (Democratic System)—दूसरी विशेषता, अमेरिकी संविधान की यह है कि इसके द्वारा एक गणतंत्र की स्थापना की गई है और इस गणतंत्र के आधारभूत सिद्धान्त हैं- निर्वाचित कार्यकारिणी तथा निर्वाचित व्यवस्थापिका। एक गणतंत्र की विशेषता यह होती है कि इसमें कोई पद व्यक्ति विशेष अथवा परिवार विशेष के लिए सुरक्षित नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति साधारण से साधारण नागरिक, राज्य के प्रत्येक पद, यहां तक कि सर्वोच्च पद तक पहुँचने की आज्ञा और अभिलाषा कर सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद पाने की प्रत्येक नागरिक अभिलाषा कर सकता है, परन्तु ब्रिटेन में राजपद की प्रत्येक नागरिक अभिलाषा नहीं कर सकता, क्योंकि यह पद राजपरिवार के लिए सुरक्षित है। अतः अमेरिका एक 'गणतंत्र' कहलाता है।

(3) अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली (Presidential System)—अमेरिकी गणतंत्र संसदीय न होकर 'अध्यक्षात्मक' है, जो कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से अलग पहचान बनाती है। अतः इसमें वे गुण

पाये जाते हैं, जो कि एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में होते हैं। जैसे-अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यकारिणी का वास्तविक अध्यक्ष होता है। वह शासन तथा राज्य दोनों का अध्यक्ष होता है। दूसरे शब्दों में, ब्रिटिश शासन प्रणाली के अन्तर्गत महारानी और प्रधानमंत्री जो भूमिकाएँ निभाते हैं, अमेरिकी शासन प्रणाली के अन्तर्गत उन्हें अकेला राष्ट्रपति निभाता है। उसका कार्यकाल चार वर्ष के लिए निश्चित है। अपनी पदावधि के लिए वह कांग्रेस (विधानमण्डल) पर निर्भर नहीं रहता न ही अपने कार्यों के लिए वह उसके प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति और कांग्रेस दो पृथक व स्वाधीन संस्थाएँ होती हैं।

(4) शक्तियों का पृथक्करण सिद्धान्त तथा अवरोध और सन्तुलन की व्यवस्था (Principle of separation of powers and system of checks and balances)—प्रोफेसर **'ऑग'** के शब्दों में- ''अमेरिकन सरकार की जिसमें राष्ट्रीय राज्यों की और स्थानीय सरकार भी शामिल है, कोई और विशेषता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि शक्तियों का पृथक्करण सिद्धान्त, जिसके साथ अवरोध और सन्तुलन की व्याख्या सावधनी से शामिल की गई है।''

अमेरिकी संविधान के निर्माता **लॉक** तथा **मॉन्टेस्क्यू** के राजनीतिक सिद्धान्तों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे और वे इस विचार से सहमत थे कि, व्यक्ति स्वातंत्र्य के लिये यह आवश्यक है कि व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी तथा न्यायपालिका इन तीनों शासन शक्तियों का पृथक्करण किया जाये। अर्थात् सरकार के ये तीनो विभाग परस्पर पृथक और स्वतंत्र हों, ताकि एक-दूसरे की निरंकुशता को रोक सकें अथवा उसपर नियंत्रण कर, सरकार में संतुलन स्थापित कर सकें। अत: शक्ति पृथक्करण और परस्पर नियंत्रण व संतुलन अमेरिकी शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता बन गये। परिणामस्वरूप, संयुक्त राज्य में कांग्रेस, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय तीनों के अधिकार क्षेत्र भिन्न और पृथक हैं। कांग्रेस विधि निर्माण के क्षेत्र में सर्वोपरि है, राष्ट्रपति कार्यकारिणी का सर्वोच्च अध्यक्ष है और सुप्रीम कोर्ट तथा उसके अधीन संघीय न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायाशक्ति निहित है। ये तीनों विभाग अपने-अपने क्षेत्र में संप्रभु तथा परस्पर स्वतंत्र हैं, कोई एक-दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है और न ही अपनी पदावधि के लिए वह कांग्रेस पर निर्भर है। न्यायपालिका द्वारा व्यक्ति के अधिकारो तथा स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इसी प्रकार कांग्रेस विधि निर्माण तथा वित्त संबंधी क्षेत्रों में सर्वोपरि है। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय जहां संविधान का संतरी है, वह कांग्रेस तथा कार्यकारिणी दोनों के आक्रमणों से उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार मांटेस्क्यू का सिद्धान्त संयुक्त राज्य की व्याख्या के रूप में जीवित हो उठा।

अवरोध एवं सन्तुलन की व्याख्या—यद्यपि शासन के तीनों विभागों कांग्रेस, राष्ट्रपति (कार्यकारिणी) तथा सर्वोच्च न्यायालय पृथक कर दिया गया हैं तथापि सरकार के किसी अंग को भी अपने क्षेत्र में मनमानी शक्तियां नहीं दी गईं। संविधान निर्माताओं को यह विदित था कि तीनों के मध्य परस्पर संबंध तथा सम्पर्क स्थापित करना भी सफल शासन के लिए परमावश्यक है, क्योंकि इसके बिना सरकार में एकता व समरूपता की भावना नहीं आ सकती। अत: यह व्यवस्था की गई कि, सरकार के तीनों अंग परस्पर एक दूसरे को नियंत्रित करें और परस्पर संतुलन की स्थापना करें। अर्थात् चूँकि शक्ति विभाजन का सिद्धान्त मूल रूप में अव्यावहारिक है, इसलिए उसे व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए शक्ति विभाजन की व्यवस्था को, विरोध एवं सन्तुलनों की पद्धति से पुष्ट किया गया। शक्ति विभाजन का सिद्धान्त, एक सीमा तक ही खींच कर ले जाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था से यह डर हो सकता है कि तीनों अंग एक दूसरे से इतने स्वतंत्र

हो जायें कि, सरकार का काम ही कठिन हो जाये। इसलिए संविधान निर्माताओं ने निरोध एवं सन्तुलन की प्रणाली अपनायी है, जिसके अनुसार तीनों शक्तियाँ एक-दूसरे को मर्यादित करती हैं, रोकती हैं, मानती हैं और फलस्वरूप एक ऐसा संतुलन स्थापित हो सकने की सम्भावना पैदा हो जाती है जिसकी मिसाल आकाश के नक्षत्रों से दी जा सकती है। इस पद्धति के अनुसार, राष्ट्रपति कांग्रेस से स्वतंत्र रहता हुआ भी, नियुक्तियों तथा संधियों के मामले में सीनेट का मुखापेक्षी बनता है। इसी तरह युद्ध एवं शांति की घोषणा, बजट की स्वीकृति, जनता पर कर लगाने जैसे मामलों के लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस की अनुमति लेनी पड़ती है। इसी प्रकार, कांग्रेस **कानून** बनाने की क्षमता रखते हुए भी राष्ट्रपति के 'वीहो' अधिकार द्वारा रोकी जा सकती है। धन विधेयकों के लिए जरूरी है कि प्रतिनिधि सभा भी इनका समर्थन करे, नहीं तो अकेली सीनेट कुछ नहीं कर सकती। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होनेवाले तथा सीनेट द्वारा जिनकी नियुक्ति की संपुष्टि हुई हो, ऐसी सर्वोच्च न्यायापालिका के न्यायाधीश संविधान की कसौटी पर किसी भी कानून या आदेश को कसकर उसे 'खोटा' घोषित कर सकते हैं। अर्थात् उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के न्यायाधीश, राष्ट्रपति तथा कांग्रेस द्वारा बनाए हुए किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं, यदि वह संविधान के विरुद्ध हो। कांग्रेस भी न्यायाधीशों की संख्या कानून द्वारा घटा या बढ़ा सकती है। न्यायाधीशो को महाभियोग द्वारा हटा सकती है। संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सीमित कर सकती है। जैसा कि यहां पर **लॉर्ड ब्राइस** ने लिखा है कि शक्ति का मूल स्रोत जनता की प्रभुता है जो सदा भरा हुआ और अपनी गहने स्रोत से पानी लेता हुआ बहता है किन्तु इसके पश्चात यह अनेक नहरों में बंट जाता है। प्रत्येक नहर इतनी कुशलता से बनाये गये तटबन्धों से बंधी हुई है कि पानी ऊपर से नहीं निकल सकता, न्यायपालिका का जागृत हाथ किनारे के उस स्थान पर मरम्मत करने के लिए तत्पर रहता है, जहां से धारा के टूट कर बहने का भय होता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां सरकार के तीनों अंगों में शक्ति पृथक्करण किया गया है, वहां तीनों में पारस्परिक संबंध भी स्थापित किया गया है।

(5) संघात्मक शासन प्रणाली (Federal System)—अमेरिकी संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक संघात्मक प्रणाली की स्थापना करता है। इस शासन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न 'प्रभुता सम्पन्न राज्य', कुछ सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, इस प्रकार अपने को एक संघ में संगठित करते हैं कि अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र तथा सर्वोच्च रहते हुए भी, राष्ट्रीय एकता एवं सुदृढ़ता प्राप्त की जा सके। (लार्ड ब्राइस के शब्दों में), संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा राज्यमण्डल है, जिसमें अनेक राज्य हैं और एक ऐसा गणतंत्र है, जिसमें विविध गणतंत्र सम्मिलित हैं। वह विभिन्न संघीय राज्यों का समूह है।

संघात्मक राज्य में- सार्वभौमिकता केन्द्रीय सरकार तथा स्थानीय सरकारों में इस प्रकार विभक्त रहती है कि, दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में संप्रभु और परस्पर स्वतंत्र रहते हैं। दोनों के मध्य अधिकारों का सीमा विभाजन, संविधान द्वारा होता है। **दूसरे-** संघात्मक राज्य में, संविधान सर्वोच्च कानून माना जाता है और संघीय सरकार (केन्द्रीय सरकार) तथा राज्य की सरकारें दोनों ही इसके अधीन होती हैं।

तीसरे, संघ में एक 'उच्चतम न्यायालय' होता है, जो संघीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों के

संवैधानिक विवादों (सगड़ो) का निर्णय करता है। साथ ही, केन्द्रीय तथा संघीय राज्य, दोनों की अपनी-अपनी पृथक सरकारें होती हैं। अर्थात् एक संघीय विधानमण्डल, संघीय कार्यकारिणी तथा एक संघीय न्यायपालिका के साथ-साथ प्रत्येक राज्य में भी ये तीनों राजनीतिक संस्थाएं होती हैं।

इस दृष्टिकोण से संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संघात्मक है और उसकी निम्नलिखित विशेषताएँ विलक्षणीय हैं।

(क) केन्द्रीय सरकार तथा संघातरित राज्यों के मध्य अधिकार विभाजन,

(ख) संविधान का लिखित होना और उसकी दुष्परिवर्तनशीलता,

(ग) संविधान की सर्वोपरिता,

(घ) न्यायपालिका का 'संविधान-अभिभावक' होना,

(ङ) संघीय विधानमण्डल में दो भवनों का होना, जिनमें से एक में संघातरित राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होना।

(6) लिखित तथा संक्षिप्त संविधान (Written and Short-constitution)—चूँकि अमेरिकी संविधान 'संघात्मक' है। प्रत्येक संघ में एक केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न राज्यों के मध्य एक प्रकार का अनुबन्ध होता है और अनुबन्ध स्वभावत: लिखित होता है। फलस्वरूप, अमेरिकी संविधान भी लिखित है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी संविधान बड़ा संक्षिप्त है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद (धारायें) हैं और आजतक कुल मिलाकर 27 संशोधन इसमें किये गये हैं, जो मूल संविधान के अतिरिक्त पृथक धाराओं के रूप में हैं। यद्यपि अमेरिकी संविधान लिखित है तथापि उसके विकास में प्रथाओं, परम्पराओं तथा रीति-रिवाजों का एक विशेष स्कान रहा है। यह परम्पराएँ तथा प्रथाएँ जो स्वभावत: अलिखित हैं, उतनी ही मान्य है, जितना कि संविधान का लिखित भाग। **ब्रोगन** के शब्दों में- ''अमेरिका का लिखित संविधान एक ढाँचे के समान है जिसको रीति-रिवाजों, राजनीतिक दलों, राष्ट्रीय विपत्तियों तथा आर्थिक उन्नति ने एक और मांस प्रदान किया है, और देश प्रेम ने जीवन दान।''

(7) संविधान की सर्वोच्चता या सर्वश्रेष्ठता (Supremacy of the Constitution)— अमेरिका के संविधान की एक प्रमुख विशेषता, इसकी 'सर्वोच्चता' है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, संघात्मक होने के नाते राज्यों तथा संघ दोनों के ऊपर सर्वोपरि है। यह सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस तथा उच्चतम न्यायालय, सभी संविधान के अधीन हैं। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है- ''यह संविधान और इसके अनुसार बनाए हुए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राधिकार के अधीन की हुई सभी संधियां या जो भविष्य में की जाएँगी, देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य में न्यायाधीश उससे बाह्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून में कोई भी बात, जो इस संविधान के विरुद्ध होगी, अवैध समझी जाएगी।''

अत: संघीय संविधान, केन्द्रीय सरकार, राज्यों के संविधान तथा उसकी सरकार और स्थानीय सरकार, अर्थात् अमेरिकी शासन प्रणाली की प्रत्येक संस्था पर सर्वोपरि है। इस सिद्धान्त के अनुसार जो कानून कांग्रेस द्वारा संविधान के अन्तर्गत बनाये जाते हैं वे सर्वोपरि हैं, क्योंकि संविधान की समस्त शक्ति

इन्हीं कानूनों द्वारा कार्यान्वित होती है। परन्तु संघीय सरकार द्वारा बनाया हुआ यदि कोई कानून संविधान की किसी धारा का उल्लंघन करता है, तो ऐसा कानून, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। इस सिद्धान्त को **'न्यायपालिका की सर्वोच्चता या सर्वोपरिता''** का सिद्धान्त कहते हैं। इस प्रकार जहां एक ओर ब्रिटेन में पार्लियामेन्ट की सर्वोच्चता है वहीं दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता है।

(8) न्यायपालिका की सर्वोच्चता (Supremacy of Judiciary)—वास्तव में संघात्मक शासन प्रणाली में यह सिद्धान्त नितान्त आवश्यक है, क्योंकि संविधान की घटनाओं के विषय में राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के मध्य समय-समय पर मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं, जिसका निर्णय करने के लिए एक निष्पक्ष तथा सर्वोच्च संख्या की आवश्यकता पड़ती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान द्वारा किसी ऐसी संस्था की स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई थी, परन्तु क्रमश: सर्वोच्च न्यायालय ने यह शक्ति ग्रहण कर ली और गर्भित शक्ति सिद्धान्त द्वारा यह न्यायालय धीरे-धीरे संविधान का संरक्षक बन गया है। आज यह संविधान की व्याख्या करने में अंतिम निर्णायक बन गया है और यदि संघीय सरकार या राज्यों की सरकार का कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो यह उसको अवैध घोषित कर सकता है। इस सिद्धान्त को न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धान्त कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कई कानूनों को अवैध घोषित किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां ब्रिटेन में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता है, वहीं अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। जहाँ ब्रिटेन में संसद द्वारा पास किये गये विधेयक को अवैध ठहराने की शक्ति न्यायपालिका में नहीं है, वहीं अमेरिका में यह शक्ति न्यायपालिका को प्राप्त है। अमेरिका में न्याय विभाग की महत्ता इतनी अधिक है कि जेम्स बैक ने सर्वोच्च न्यायालय को **''संविधान का संतुलन चक्र''** कहा है।

(9) एक कठोर दुर्दमनीय (दुष्परिवर्तनशीलता) प्रणाली (Rigid Constitution)—अमेरिका का संविधान एक लचीला संविधान नहीं अपितु 'कठोर दुर्दमनीय संविधानों का श्रेष्ठ नमूना है। इसकी संशोधन विधि अपेक्षाकृत कुछ कठिन है। इसके अन्तर्गत साधारण तथा संवैधानिक कानूनों में भेद किया गया है और संवैधानिक कानूनों के संशोधन की जो व्यवस्था की गई है, वह बहुत जटिल है। अमेरिका में संविधान संशोधन के लिए कांग्रेस के विशिष्ट बहुमत के (2/3 सदस्यों) साथ-साथ राज्यों के विधानमण्डलों के और विशिष्ट बहुमत द्वारा (3/4 राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा) समर्थन मिलने पर ही संशोधन सम्भव है। यही कारण है कि आरम्भ से आज तक अमेरिकी संविधान में केवल 27 संशोधन ही हो पाये हैं, जिनमें प्रथम बारह संशोधन जो लगभग एक साथ प्रारम्भ में ही हो गये थे। इससे यह सिद्ध होता है कि संविधान संशोधन विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही किये जा सके हैं।

(10) अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना (Indirect Democracy)—संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माता प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अधिक पक्ष में नहीं थे और न ही इतने बड़े देश में जहाँ इतनी अधिक भिन्नताएँ हों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सम्भव था। इसलिए उन्होंने लोकतंत्र केन्द्र में नहीं रखा और उसको केवल राज्यों में रखने की आज्ञा दी। आज भी जनमत संग्रह प्रस्तावाधिकार (Initiative) तथा प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की पद्धति (System of Recall) कुछ राज्यों में तो विद्यमान है, परन्तु केन्द्र में नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव अभी तक अप्रत्यक्ष ही है, ताकि लोगों में बहुत अधिक जोश उत्पन्न न हो और उम्मीदवारों का खर्च भी कम हो।

(11) सरकार की शक्तियों को सीमित करना (Limited powers of governance)— अमेरिका के संविधान निर्माता 'जॉन लॉक' तथा 'माण्टेस्क्यू' के सिद्धान्तों से प्रभावित होकर सरकार की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया। इस हेतु उन्होंने प्रथमत: जनता को प्रभुसत्ता सौंपी।

दूसरे, उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त और संतुलन तथा नियंत्रण की व्यवस्था को अपनाया।

तीसरे, उन्होंने संविधान में एक अधिकार पत्र अपनाया, ताकि सरकार लोगों के मौलिक अधिकारों का मान-सम्मान करे और उनकी स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप न करे।

चौथे, उन्होंने यह व्यवस्था की कि सरकार की सब शक्तियों का प्रयोग केवल जनता के प्रतिनिधि ही कर सकेंगे।

पांचवें, उन्होंने सेना पर नागरिक नियंत्रण रखा, ताकि सेना की तानाशाही न स्थापित हो।

छठे, उन्होंने संविधान में संशोधन की विधि बहुत कठिन रखी ताकि, संविधान कुछ स्वार्थी नेताओं के हाथ की कठपूतली न बन जाए और संविधान में केवल उसी समय संशोधन हो जब जनता का विशेष बहुमत उसे चाहें।

(12) अधिकार पत्र (Bill of Rights)—भारतीय संविधान के तहत अमेरिका का संविधान भी जनता के अनेक अधिकारों का प्रावधान करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह पहला संविधान है, जिसने इस प्रकार एक 'अधिकार पत्र' (Bill of Rights) को संविधान का अंग बनाया। यह अधिकार पत्र 4 मार्च, 1789 में, कांग्रेस द्वारा (दस संशोधनों को) स्वीकार किए गए। इन दस संशोधनों का राज्यों द्वारा अनुसमर्थन मिलने के पश्चात यह 'अधिकार पत्र' 15 दिसम्बर 1791 में संविधान का अंग बना।

ये दस प्रमुख संशोधन क्रमश: हैं :–

(i) इसके अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठे होने की और सरकार से प्रार्थना करने की स्वतंत्रता दी गई।

(ii) शस्त्र रखने और धारण करने का अधिकार दिया गया।

(iii) शांतिकाल में किसी भी मकान में उसके स्वामी के आज्ञा के बिना सैनिक नहीं रह सकते।

(iv) इसके द्वारा सरकार के अनावश्यक तथा अनुचित हस्तक्षेप के विरुद्ध लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई। अर्थात् यह गारन्टी दी गई है कि लोगों के शरीर, मकान और माल की सुरक्षा रहेगी और अकारण ही तलाशी नहीं ली जायेगी।

(v) लोगों को जीवन, सम्पत्ति और संरचना के अधिकार दिये गये।

(vi) अपराधियों को शीघ्र न्याय तथा जूरी द्वारा अपने अभिभोग का निर्णय कराने का अधिकार दिया गया।

(vii) नागरिकों को जूरी से अपने मुकदमों का निर्णय कराने का अधिकार मिला।

(viii) नागरिकों से न तो आवश्यकता से अधिक जमानत मांगी जाएगी न ही भारी जुर्माने किये जायेंगे, न असधारण दण्ड दिए जाएँगे।

(ix) नौवें संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि, संविधान में कुछ अधिकारों के वर्णन करने का आशय कदापि नहीं लिया जाएगा कि, नागरिकों को वर्तमान अधिकारों से वंचित कर दिया जायेगा।

(x) दसवें संशोधन के द्वारा, संविधान ने जो शक्ति संयुक्त राज्यों को नहीं दी है और राज्यों को मना नहीं की गई है, वे राज्यों या जनता के लिए सुरक्षित की गई हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अमेरिका के शासन का प्रत्येक अंग सीमित शक्ति रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, संविधान द्वारा राष्ट्रीय सरकारों पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि इन देशों में सीमित सरकार की स्थापना की गई है। साथ ही इससे मालूम होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को भी वे सभी मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि सभ्य देशों में प्राय: दिए जाते हैं।

(13) दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship)—संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के 14वें संशोधन (1868) के अनुसार, प्रत्येक अमेरिकन को अपने राज्य की भी नागरिकता प्राप्त है और संघ की भी। अर्थात् दोनों को पृथक-पृथक परन्तु एक साथ नागरिक माना जाता है। संघीय नागरिकता संबंधी प्रारूप सभी के लिए एक समान है, परन्तु विभिन्न राज्यों की नागरिकता संबंधी प्रावधानों में विविधता पाई जाती है।

(14) समझौते के परिणाम (Result of an agreement)—अमेरिकी संविधान के संक्षिप्त होने का मुख्य कारण कदाचित यह भी है कि फिलाडेलफिया सम्मेलन में विभिन्न दृष्टिकोणों तथा परस्पर विरोधी मतों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। छोटे और बड़े राज्यों में मतभेद थे। केन्द्रापसारी तथा केन्द्राभिमुखी प्रवृत्तियों में संघर्ष था। पूँजिहीन तथा पूँजिपति और कृषि तथा उद्योग यह दोनों विरोधी थे। अत: आरम्भ से ही यह विदित था कि सम्मेलन के कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए यह अनिवार्य है कि विभिन्न मत और विरोधी हित आपस में समझौते के लिए तैयार रहें। वास्तव में सम्मेलन में लगभग हर प्रश्न पर समझौता करना पड़ा और आज भी इन समझौतों की छाप अमेरिकी संविधान पर पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई पड़ती है।

(15) एक अनुदार संविधान (A conservative constitution)—लास्की तथा **ब्रोगन** का मत है कि अमेरिकी संविधान एक प्रतिक्रान्तिवादी प्रलेख है। इस कथन में बहुत कुछ सत्य का अंश है क्योंकि जिन क्रांतिकारियों ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, वे स्वयं पूँजीपति थे और इस नये संविधान द्वारा वह अपनी विजय तथा पूँजी को सुरक्षित करना चाहते थे। अत: व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा संविधान का आधारभूत सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त समय-समय पर अमेरिकी सामाजिक प्रगति का बाधक रहा है। अत: कुछ आलोचकों ने संविधान को एक अनुदार प्रलेख्य बताया है।

(17) कुछ महत्वपूर्ण न्यूनताएँ या संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बातों का लोप है (Limitations of the constitution)—अमेरिकी संविधान में जिन बातों का वर्णन मिलता है, वह उतनी ही उल्लेखनीय है जितनी वे बातें जिनका इसमें अभाव है। कहीं-कहीं संविधान में आवश्यक बातों पर भी

व्यापक व्यवस्था की गई है जैसे जूरी की व्यवस्था अथवा देशद्रोह की परिभाषा आदि, और कहीं मौलिक बातें भी छोड़ दी गई हैं। उदाहरणार्थ-प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के अधिकारों का वर्णन इसमें नहीं मिलता, दोनों सदनों के मतभेद को सुलझाने की व्यवस्था नहीं की गई है, संघीय नियुक्तियों की व्यवस्था हुई है, परन्तु महाभियोग के अलावा उनके हटाये जाने के लिए कोई प्रबंध नहीं हुआ। यही बातें राजनीतिक दलों, बजट तथा कुछ अन्य बातों के संबंध में कही जा सकती हैं। परन्तु जो अधिकार कांग्रेस को दिये गये हैं उनका क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उनके अन्तर्गत सब छूटे हुए प्रश्नों पर नियम बनाये जा सकते हैं और इस प्रकार इन न्यूनताओं को पूरा किया जा सकता है।

3.3.2 समीक्षा (Evaluation)

जब हम संविधानवाद के आलोक में अमेरिकन संविधान के विशेषताओं का अवलोकन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका में संविधानवाद के आधारभूत तत्वों का समावेश है। संविधानवाद के मान्यताओं के अनुकूल अमेरिकन संविधान, शासन की आधारभूत संस्थाओं–व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका तथा राजनीतिक दलों, समूहों एवं प्रशासकीय सेवाओं की समुचित व्यवस्था एवं स्थापना करता है। सबसे बड़ा बुनियादी सिद्धान्त, जिसने अमेरिकी संविधान को अनुप्रमाणित किया है, वह है राज्य की व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा का साधन मात्र मानने वाला विचार। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी एवं न्यायपालिका को पृथक कर दिया गया है। जिससे कोई एक विभाग दूसरे विभाग से मिलकर वैयक्तिक स्वतंत्रता को आघात न पहुँचा सके। साथ ही, यद्यपि शासन के तीनों विभागों को अलग कर दिया गया है तथापि सरकार के किसी एक अंग को भी, अपने क्षेत्र में मनमानी करने की शक्तियाँ नहीं दी गई हैं। इसके लिए व्यवस्था है कि सरकार के तीनों अंग परस्पर एक-दूसरे को नियंत्रित करें एवं परस्पर सन्तुलन की स्थापना करें। इस तरह सरकार की शक्तियों का सीमांकन कर दिया गया है ताकि शासकों के स्वेच्छाचारी कार्यों से जनता की रक्षा हो सके। इतना ही नहीं, कानून का शासन, मौलिक तथा नागरिक स्वतंत्रताओं का अस्तित्व, न्यायपालिका और प्रशासनिक सेवा के कार्य में विधायिका के हस्तक्षेप से बचाव किया गया है। कुछ अधिकारों को संविधान द्वारा सुरक्षित कर दिया गया है, जिसके उल्लंघन किये जाने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। केन्द्रीय स्तर से लेकर संघारित राज्यों के मध्य अधिकारों एवं शक्तियों का विवेचन, अमेरिकन संविधान की विलक्षण विशेषता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया गया है। इस हेतु जनता को प्रभुसत्ता सौंपी गई है। शक्ति पृथक्करण, संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था है। एक अधिकार पत्र को अपनाया गया है, ताकि सरकार लोगों के मौलिक अधिकारों का मान सम्मान करे और उसकी स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप न करे। जन प्रतिनिधियों को ही केवल सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। सेना पर नागरिकों का नियंत्रण रखा गया है।

अमेरिकन संविधान विकास का भी प्रतिफल है। इसे विभिन्न सम्मेलनों में किये गये वाद-विवादों के बाद लिए गए निष्कर्षों के आधार पर राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा अपनाया गया है। राजनीतिक संगठन के रूप में वैध सरकार की स्थापना की गई है। ये सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं।

वस्तुतः संविधानवाद की आधारभूत विशेषता विधि और विनियमों द्वारा संचालित व्यवस्था से है

उसका स्पष्ट दृष्टान्त अमेरिकन संविधान में परिलक्षित होते हैं। अमेरिकन व्यवस्था (संविधान) प्रजातांत्रिक भावना और व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था है जिसमें मानवीय मूल्यों, आस्थाओं एवं आकांक्षाओं-इच्छाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

3.4 अभ्यास के प्रश्न (Questions for Exercise)

1. संविधानवाद के विभिन्न तत्वों की विवेचना करें।
   (Discuss the various elements of Constitutionalism.)
2. ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें।
   (Discuss the main features of the British Constitutional System.)
3. ब्रिटेन में 'विधि के शासन' का वर्णन करें।
   (Discuss the principle of 'Rule of Law' in Britain.)
4. अमेरिकी संवैधानिक प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें।
   (Discuss the main features of the American Constitutional System.)
5. अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तथा अवरोध एवं संतुलन व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखें।
   (Write a note on the principle of Separation of Powers and System of checks and balances in America.)

3.5 संदर्भ ग्रंथ (Suggested Readings)

1. डा. हरिमोहन जैन – विश्व के प्रमुख संविधान
2. डा. आर. सी. अग्रवाल – विश्व के प्रमुख संविधान
3. ओम प्रकाश गाबा – तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा
4. जे. सी. जौहरी – तुलनात्मक राजनीति
5. गाँधीजी राय – तुलनात्मक शासन एवं राजनीति
6. महावीर सिंह त्यागी – विश्व की प्रमुख शासन प्रणालियाँ

■ ■ ■